

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.)

Telephone No. 07752-223271, Fax No. 07752-251008, E-mail ID -bilaspur.court@nic.in

--: भर्ती हेतु विज्ञापन :-

क्रमांक 1131/दो-12-48/2007

बिलासपुर, दिनांक 31 मार्च, 2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि	दिनांक 01-04-2023 दिन शनिवार के प्रातः 11.00 बजे से
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 01-05-2023 दिन सोमवार के शाम 05.00 बजे तक
आवेदन पत्र जिला न्यायालय, बिलासपुर में निर्धारित ड्रॉप बाक्स के माध्यम से ही स्वीकार किए जायेंगे।	

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के अंतर्गत "आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर)" पर वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाहन चालक, वाटरमैन/चौकीदार/स्वीपर) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारत के मूल नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के द्वारा WPC No.-591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में दिनांक 19-09-2022 को आदेश पारित करते हुए उक्त आरक्षण प्रतिशत 58 प्रतिशत को असंवैधानिक घोषित किया गया है। अतः उक्त आदेश के परिपालन में वर्ष 2012 में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन के पूर्व निर्धारित आरक्षण 50 प्रतिशत के आधार पर यह विज्ञापन आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों हेतु निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम एवं कुल पद	वर्गवार पदों का विवरण
1	वाहन चालक (कुल 01 पद)	01- अनारक्षित
2	वाटरमैन/चौकीदार/स्वीपर (कुल 15 पद)	08- अनारक्षित (महिला-02, दिव्यांग-01 पद) 02- अनुसूचित जाति (महिला-01 पद) 03- अनुसूचित जनजाति (महिला-01 पद) 02- अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला-01 पद)

वेतनमान- कलेक्टर बिलासपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित दैनिक वेतन

(I). **भर्ती की पात्रता एवं शर्त:-**

1. **वाहन चालक के पद के लिए:-**

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला परीक्षा (कक्षा आठवी) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र
2. हल्का मोटरयान का वैध अनुज्ञापिधारी (जीवित लाइसेंस) प्रमाण पत्र।

अन्य योग्यता एवं अनुभव:- सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हो तो विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एवं कम्प्यूटर इत्यादि प्रमाण पत्र संलग्न करें।

टीप:- अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र जिला न्यायालय बिलासपुर के वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड करके स्वयं का फोटो चस्पा करते हुए वैध पहचान पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित हो सकते हैं।

31/3/2023

(II) आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें:-

- (i) (अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(ब) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
- (ii) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ- 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 30-01-2019 में दिए गए निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी अर्थात् 40 वर्ष आयु सीमा की छूट होगी।
- (iii) आवेदक को अच्छे चरित्र और स्वस्थ मन एवं शरीर का होना चाहिए और ऐसी मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहिए जो उसे आवेदित पद के अयोग्य बनाता हो।
- (iv) आवेदक का एक से अधिक जीवित पति पत्नी नहीं होना चाहिए।
- (v) आवेदक को नैतिक अधमता (Moral Turpitude) से युक्त अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं होना चाहिए।

(III) उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:-

- (1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जायेगी।
- (2) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1 आ. प्र. दिनांक 20-01-1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए।
- (3) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेंगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।
- (4) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण

छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन करने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

- (5) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।



- (6) महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।
- (7) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-1-2/2002/1/3 दिनांक 02-06-2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मियों के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / विधवा / परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।
- (8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशनड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (9) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा, में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।
- (10) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29-06-1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (11) राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 19-2/2005/1-3 दिनांक 01-12-2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (12) उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एक 6-10/2004/1-9 दिनांक 06-07-2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :-

(1) बिन्दु क्रमांक-1 से 9 में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।


(2) बिन्दु क्रमांक- 10 से 12 के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु क्रमांक 1 से 9 में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण :- यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ-साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी। अन्तरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी।

टीप:- उपरोक्त 1 से 9 और 10 से 12 में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

महत्वपूर्ण - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। **सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**

(IV) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।



- (v) आवेदनों की छंटाई पश्चात् पात्र / अपात्र अभ्यर्थियों की सूची इस कार्यालय की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। तत्पश्चात् अंतिम पात्रता सूची भी जिला न्यायालय की वेबसाईट में घोषित की जावेगी। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि जिला न्यायालय बिलासपुर की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (vi) दावा / आपत्ति के निराकरण पश्चात् आवेदकों को रोल नम्बर आवंटित किया जायेगा। आवंटित रोल नम्बर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा/ साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर अपलोड की जावेगी। उम्मीदवार वेबसाईट से अपना रोल नम्बर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटाई (Short listing) की प्रक्रिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी द्वारा निर्णित किया जायेगा, जो अंतिम होगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:-

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 01-05-2023 दिन सोमवार की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम "वाहन चालक" अथवा "वाटरमैन / चौकीदार / स्वीपर" लिखा हो, आवेदन "कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.)" को सम्बोधित होना चाहिए। शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर में रखे निर्धारित आवेदन जमा करने संबंधी पेटी (ड्रॉप बॉक्स) पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 01-05-2023 को संध्या 05:00 बजे तक डाले जा सकते हैं। **अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे** तथा आवेदन जमा करने संबंधी पेटी (ड्रॉप बॉक्स) से भिन्न प्रकार जैसे स्पीड पोस्ट, डाक, रजिस्टर्ड डाक, ई -मेल आदि के माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार्य नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. प्रत्येक आवेदित पद हेतु आवेदन पत्र पृथक-पृथक लिफाफे में उपरोक्तानुसार पद का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पद उल्लेखित होने पर आवेदक द्वारा प्रथमतः उल्लेखित पद हेतु आवेदन स्वीकार किया जावेगा।
4. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण-पत्र अथवा पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता / विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

चयन प्रक्रिया

1. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (छ.ग.) को होगा।



2. अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर वर्गवार उनके न्यूनतम योग्यता संबंधी अंक सूची में प्राप्तानुक्रमिक क्रम के आधार पर विज्ञापित पद के 10 गुना आवेदकगण की छटनी की जाएगी।
3. अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित कराने अध्यक्ष अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
4. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित उम्मीदवार की सेवा पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अध्याधीन होगी।
6. चयन प्रक्रिया, चयन एवं नियुक्ति के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा। कोई अयोग्यता पाये जाने पर किसी भी स्तर पर चयन / नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
7. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। **पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।**

नियुक्ति हेतु चयन विधि

1. वाहन चालक के पद हेतु:-

अ - वाहन परिचालन के परीक्षण हेतु 50 अंकों का कौशल परीक्षा आयोजित किया जावेगा।

ब - कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। वाहन चालक के पद हेतु जिसके पास वाहन मेकेनिक से संबंधित आईटीआई का प्रमाण पत्र होगा उसे चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

2. वाटरमैन/ चौकीदार/ स्वीपर के पद हेतु:-

(अ) **साक्षात्कार:-** आकस्मिकतानिधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमैन/चौकीदार/ स्वीपर) के पद हेतु अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण कर साक्षात्कार लिया जावेगा।

टीप: **मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत साक्षात्कार के आधार पर चयन हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी**


31/3/2023

अन्य आवश्यक सूचनाएं

- (अ) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
- (ब) उपयुक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से उम्मीदवारों की पृथक-पृथक सूची जिला न्यायालय के बेवसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> पर उपलब्ध करायी जायेगी। निरस्त किए गए आवेदन पत्रों पर दावा आपत्ति सात दिवस के भीतर दावा संबंधी दस्तावेजों के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- (स) अभ्यर्थियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में स्वयं का मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग किया जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करते समय मौखिक रूप से निर्देशित किये जाने पर मास्क हटाकर अपनी पहचान दिखाई जावेगी।
- (द) आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 6 माह के पश्चात विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् "सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि / निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होगा।

योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रवेश पत्र जिला न्यायालय, बिलासपुर के बेवसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/bilaspur> में अपलोड की जावेगी, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।


अध्यक्ष

चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

आकस्मिकता निधि (वाहन चालक एवं वाटरमैन/चौकीदार/स्वीपर) से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद हेतु

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन
फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम :
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :
- (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) :
3. लिंग-पुरुष/महिला :
4. पिता/पति का नाम :
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :
- :
- :
- (ब) स्थाई पता :
- :
- :
6. (अ) जन्म तिथि (अंकों में) :
- शब्दों में :
- (ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु : वर्ष माह दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर :
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल :
- निवासी है ? हाँ/नहीं

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा :
छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/
अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ :
अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें
11. क्या आवेदक दिव्यांग है ? हां/नहीं :
(यदि हां, तो दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल
बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
12. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :
13. क्या आप विवाहित है ? हां/नहीं :
14. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :

कं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

15. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था :
में सेवारत है ? हां/नहीं (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित
छायाप्रति संलग्न करें)

16. अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :

17. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-:: घोषणा पत्र ::-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थान

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम एवं पूरा पता

मोबाईल नंबर

ई-मेल नं.

(मोबाईल नंबर एवं ई-मेल अनिवार्य रूप से भरे)